चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 01.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 01.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी व उ0नि0 यूटी कुंवर प्रखर ,आरक्षी विवेक कुमार द्वारा शैलेन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह निवासी गोबरिया थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट को 36 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1. बाबू उर्फ मनोज यादव 2.नीलू उर्फ विनोद यादव 3.लाखनलाल उर्फ लखना 4. भरतलाल यादव पुत्रगण राजाराम उर्फ रज्जन निवासी चकला गुरुबाबा शिवरामपुर चौकी शिवरामपुर थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

(5). आज दिनांक 01.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । परेड में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया । बाद परेड महोदय द्वारा शास्त्रों को खोलवाया गया तथा पुलिस लाइन का भ्रमण कर मैस, बैरिक, सीपीसी कैन्टीन, आरओआईपी डायल 112, रेडियो कन्ट्रोल रूम,क्वार्टर गार्द,स्टोर रूम का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।
तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया ।

(6). आज दिनाँक 01.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री शिवआसरे के मार्गदर्शन में थाना मारकुण्डी पुलिस ने नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 26.09.2024 को वादी द्वारा थाना मारकुण्डी में सूचना दी कि सुकेन पुत्र स्व0 सुंदर उर्फ सुंदरवा कोल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम गोपीपुर करौंहा थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट, उनकी 16 वर्षीय नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस सूचना पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 57/2024 धारा 137(2) बीएनएस बनाम सुकेन उपरोक्त पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी द्वारा मुकदमें की विवेचना एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वरि0उ0नि0 श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय को निर्देशित किया गया था। दिनाँक 27.09.2024 को पीड़िता स्वंय आ गयी थी तथा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के बयान कराये गये। वरि0उ0नि0 श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय एवं उनके हमराही द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 01.10.2024 को अभियुक्त सुकेन उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। पीडिता के मेडिकल परीक्षण एवं माननीय न्यायालय में बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 04 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

सुकेन पुत्र स्व0 सुंदर उर्फ सुंदरवा कोल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम गोपीपुर करौंहा थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.वरि0उ0नि0 श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय थाना मारकुण्डी

2.आरक्षी अभिषेक यादव

(8). आज दिनाँक 01.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि द्वारा अश्विन मास/पितृ विसर्जनी अमावस्या मेला डियूटी में लगे पुलिस बल को ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी को कहा गया कि सभी अपनी-अपनी डियूटी पर समय से पहुचेंगे, कोई भी अधिकारी/कर्मचारी डियूटी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करेगा। ड्यूटी के दौरान सभी श्रद्धालुओं से नम्रतापूर्वक व्यवहार करेगें।

पूरे मेल को सकुशल संपन्न करने के लिए 04 जोन व 14 सेक्टर में बांटा गया है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 04 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 14 थाना प्रभारी निरीक्षक, 11 निरीक्षक, 45 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 165 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल, 45 महिला कांस्टेबल, 02 उपनिरीक्षक यातायात, 18 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल यातायात, 01 पीएससी कंपनी, 01 उपनिरीक्षक एलआईयू, 04 हेड कान्सटेबल/कान्सटेबल एलआईयू, 01 एसचैक टीम, 02 डॉग स्क्वायड, 02 फायर टेण्डर की डियूटी लगाई गई है।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जय करन सिंह, क्षेत्राधिकारी कार्यालय/लाइन्स श्री यामीन अहमद एवं मेला में लगे समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा आश्विन मास/पितृ विसर्जनी अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने मेला सुरक्षा में लगे सुरक्षा अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया कि मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी करें तथा श्रद्धालुओं के साथ विन्रम व्यवहार करे साथ ही साथ किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

भ्रमण के दौरान क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह,क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु फहद अली, सहायक चकबन्दी अधिकारी श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव,चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता एवं पीओरओ श्री प्रवीण सिंह उपस्थित रहें।